प्रकरण संख्या 24/2024 लक्ष्मीलाल बनाम श्रीमती लच्छीबाई

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07.08.2024 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 60 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं आराजी नंबर 61 रकबा 1.2700 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.3300 हैक्टर भूमि ग्राम खरबडिया, तहसील गिर्वा में स्थित है, जिसमें वादिया का 1/7 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज है। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादिया का 1/7 हिस्सा स्वतंत्र रूप से राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे।<br><br>अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2022 से वादिया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन के आधार पर दिनांक 23.11.2022 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 21 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.05.2024 को प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गणेशलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कल्पित जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। दिनांक 18.02.2024 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर आकर झगड़ा करने से उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।<br><br>हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्राह्य की जाती है।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि दिनांक 02.08.2021 अथवा उसके पूर्व लॉकडाउन में अपीलान्टगण को डिक्री कभी तामिल ही नहीं हुई | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:02 IST
Reason: SelfAttested

मात्र रजिस्ट्री के आधार पर तामिल मान ली गई है, जबकि पत्रावली पर मात्र रजिस्ट्री की रसीदें पेश की गयी हैं, पावती पेश नहीं की गयी है, जबकि कोविड काल में डाक सेवा पूर्णतया प्रतिषिद्ध थी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्टगण की तामिल मानकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है उसमें विभाजन नियमों की पालना नहीं की गयी है, क्योंकि विभाजन में प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी जमीन प्रदान की जानी चाहिए जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्टगण का यह कथन कि उनकी प्रोपर तामिल नहीं हुई है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न रजिस्टर्ड तामिलों से स्पष्ट है कि उनकी रजिस्टर्ड डाक से तामिल करवायी गयी है, किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थिति नहीं होने से दिनांक 02.08.2021 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड व प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गयी है, क्योंकि जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 अनुसार विवादित आराजी नंबर 60 रकबा 0.0600 हैक्टर एवं आराजी नंबर 61 रकबा 1.2700 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.3300 हैक्टर भूमि अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के सहखातेदारी में दर्ज है तथा प्रत्येक सहखातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में विभाजन का अधिकार प्राप्त है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 136/2019 निर्णय एवं डिक्री 23.11.2022 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
[illegible]बन्ध अधिकारी
एवं [illegible] अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:02 IST
Reason: SelfAttested